राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 22933 दिनांक 12 मई, 2020

:: आदेश ::

भीलवाडा जिले में नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ–साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एव जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

इस कार्यालय में सहायक अभियंता मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग भीलवाडा द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भीलवाडा के पीछे ड्रग स्टोर आफिस भवन के निर्माण की अनुमति चाही गई है। अतः नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाईजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना करने पर उक्त अनुमति निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी की जाती है :–

1. उक्त स्वीकृति पूर्णतया अस्थाई होगी एंव केन्द्र/राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एंव शर्तों की अवहेलना अथवा अन्य कारणों से निरस्त की जा सकेगी ।
2. नियोजित श्रमिको का रहवास यथा संभव कार्यस्थल पर ही किया जावे।
3. निर्माण श्रमिक एंव अन्य कार्मिकों को फेस मॉस्क का उपयोग/लगाना अनिवार्य होगा।
4. Social distance के निर्धारित मापदण्डों अनुसार आवागमन किया जावे।
5. आवगामन करने वाले श्रमिक/कार्मिकों को सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराने होगें ।
6. सभी कार्मिको/श्रमिको के समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराये जायेगें।
7. भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवॉयजरी एंव जिला स्तर से लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार सभी व्यक्ति सामाजिक दुरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे, तथा सभी आवागमन करने वाले श्रमिको/कार्मिको का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त स्वीकृति मान्य होगी।
9. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियो को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिग करवाई जाकर प्रदत्त निर्देशो की पालना की जावे।
10. गुटखा तम्बाकू के सेवन तथा थुकनें पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।
11. उक्त आवागमन हेतु भीलवाडा जिले के बाहर से श्रमिको/कार्मिको का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।
12. कॉविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबधित प्रॉटोकोल को फोलो करते हुए एनक्सर I – II मे दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायो का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओ एवं "The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

21-5-20

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. **जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।**
02. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
04. **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाईजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के कम में समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।**
05. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
06. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
07. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
08. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
09. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा।
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
12. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा